

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

योजना भवन, तृतीय तल्ला, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची।

राँची, दिनांक

विषय :-

संत जेवियर कॉलेज, सिमडेगा को शैक्षणिक सत्र 2022-26, 2023-27 एवं 2024-28 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-1162, दिनांक 29.08.2022 एवं पत्रांक-828, दिनांक 11.01.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने सिल्ली कॉलेज, सिल्ली को विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आलोक में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में बिना किसी वित्तीय भार के एवं इंटर रहित अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव में समीक्षोपरांत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 04 (19) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित विवरणी के अनुसार कंडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की है:-

क्र०	संकाय/स्तर/विषय	सत्र	अभियुक्ति
1.	a) B.A. (Gen. &Hons) Hindi, English, History, Geography, Economics & Political Science b) B.Com (Gen. &Hons) All Group In all the proposed major + Adv. Major courses along with all the subject required for subject mapping (common courses, introductory courses, minor courses and research courses) as per the frame work for FYUGP	सत्र 2022-26, 2023-27 एवं 2024-28 के लिए	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की अनुशंसा इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि उक्त सत्रावधि में महाविद्यालय NAAC करा ले।

2. शर्त:-

- यह महाविद्यालय नवसंबंधन/स्थायी संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु पत्रांक-BSU-16/86-1096 (GSI) दिनांक- 19.04.1986 एवं संबंधन संबंधी नवगठित परिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शर्तों को सदैव पूरा करेगा।
- विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अधिरोपित शर्तों एवं पूर्व में विभाग द्वारा दिये गए शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय को यू0जी0सी0 अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा-5 के तहत NAAC Accreditation कराना आवश्यक होगा।
- आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सूरज कुमार)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

राँची, दिनांक:- 20/10/2022

ज्ञापक : DHESec1/RU-संबंधन-104/2022/HTESD - 1739 /

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, संत जेवियर कॉलेज, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Received on
10/12/2022
Post-Office

10/12/2022

(सूरज कुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।



RANCHI UNIVERSITY, RANCHI

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक 1739 दिनांक 20.10.2022 के द्वारा संत जेवियर्स कॉलेज, सिमडेगा को स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में बिना किसी वित्तीय भार के एवं इण्टर रहित अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव में कंडिका -2 में अंकित शर्तों के साथ झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा - 4 (19) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित विवरणी के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र०	संकाय एवं स्तर विषय	सत्र	अभ्युक्ति
1.	a) B.A. (Gen. & Hons) Hindi, English, History, Geography, Economics, & Pol-Science b) B. Com. (Gen. & Hons) All Groups in all the proposed Major + Adv. Major courses along with all the subject required for subject mapping (common courses, introductory courses minor courses and research courses) as per the frame work for FYUGP	सत्र 2022-26, 2023-27 एवं 2024-28 के लिए	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की अनुशंसा इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि उक्त सत्रावधि में महाविद्यालय NAAC करा ले।

2. शर्त:-

- यह महाविद्यालय नवसंबंधन/स्थायी संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु पत्रांक BSU-16/86-1096 (जी0एस01) दिनांक 19.04.86 एवं संबंधन संबंधी नवगठित परिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शर्तों को सदैव पूरा करेगा।
- विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अधिरोपित शर्तों एवं पूर्व में विभाग द्वारा दिये गए शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय को यू0जी0सी0 अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा-5 के तहत NAAC Accreditation कराना आवश्यक होगा।
- आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

कुलपति के आदेशानुसार

ह०/-

कुलसचिव

राँची विश्वविद्यालय, राँची

दिनांक 26/11/2022

पत्रांक 12-25-1229
प्रतिलिपि-

- प्राचार्य, संत जेवियर्स कॉलेज, सिमडेगा।
- संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
- परीक्षा नियंत्रक, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
- निदेशक, टेबुलेशन सेन्टर, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
- उप-कुलसचिव-II पंजीयन शाखा, राँची विश्वविद्यालय, राँची।

Acting Principal
St. Xavier's College
Simdega, Jharkhand

Received on
07/12/2022 from
RU Affiliation Office.
07/12/2022

25-11-22

कुलसचिव

राँची विश्वविद्यालय, राँची